<u>न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1, राजगढ जिला चूरू</u>

पीठासीन अधिकारीः मुनेश चंद यादव, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

1- विविध फौजदारी संख्या 119/2026

CNR No.- RJCH060004442026

सुमित कुमार उर्फ लोडिया पुत्र हरिसिंह उम्र 27 साल निवासी अरडावता पीएस चिडावा जिला झुंझुनूं

- प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, राजगढ़ जिला चूरू।

ए व म्

2- विविध फौजदारी संख्या 121/2026

CNR No.- RJCH060004462026

दुर्गाराम पुत्र पालदेवाराम उम्र 57 साल निवासी खारीया गोदरान पीएस हमीरवास तहसील राजगढ जिला चूरू हाल किरायेदार मकान हरिसिंह कमला नगर चिडावा जिला झुंझुनूं

- प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, राजगढ़ जिला चूरू।

प्रार्थना पत्र बाबत जमानत अंतर्गत धारा 483 BNSS
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 65/2026 पीएस हमीरवास
अपराध धारा 109(1), 115(2), 117(2), 126(2), 331(6), 189(2)/61(2) BNS

उपस्थितः-

श्री अमित नायक, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त सुमित
श्री राजेंद्र गोठवाल, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त दुर्गाराम
श्री सुनील जांगिड, अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य

आदेश दिनांकः **04.06.2026**

1- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से पृथक-पृथक जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये

गये, जिनकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। उक्त दोनों ही जमानत आवेदन एक ही एफआईआर व एक ही प्रकरण से संबंधित होने के कारण साक्ष्य की पुनरावृति रोकने की दृष्टि से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2- बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गयी। बहस में अधिवक्ता अभियुक्तगण ने उनके जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ही पुनरावृति करते हुए यह तर्क दिया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उनसे कोई बरामदगी या तफ्तीश शेष नहीं है एवं ना ही उनके विरूद्ध कोई नामजद एफआईआर दर्ज करवायी गयी है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। वे अपने परिवार में कमाने वाला अकेला व्यक्ति है, जिनके जे.सी रहने से उनके परिवार की स्थिति खराब हो जाएगी। अभियुक्तगण द्वारा गवाहान को टेम्परविद करने व फरार होने का अंदेशा नहीं है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

3- इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए यह कथन किया कि अभियुक्तगण ने सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी व उसके पुत्र के साथ पूर्व तैयार होकर उनका सदोष परिरोध करते हुए उनके साथ मारपीट कर उपहतियां कारित की एवं उनकी हत्या करने का प्रयास किया। परिवादी राजेंद्र के लगी चोट प्राणाघतक होना चिकित्सा अधिकारी ने स्पष्ट अंकित किया है। सहअभियुक्तगण भागीरथ व शर्मिला के जमानत आवेदन पूर्व में इस न्यायालय द्वारा खारिज किये गये हैं। कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, इसलिए प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

4- उभय पक्ष के तर्कों, तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार दिनांक 11.03.26 को प्रार्थी राजेश कुमार पुत्र खंभाराम ने एक पर्चा बयान इस आशय का दिया कि उनके पैतृक खेत के रास्ते को बलवान पुत्र हीराराम व उसके भाईयों ने बंद कर रखा है, जिसका विवाद उपखंड मजिस्ट्रेट में लंबित है और इसी कारण वे उससे रंजिश रखते हैं। दिनांक 10.03.26 को वक्त रात्रि 9-09.30 बजे वह, उसका बेटा कपिल व उनका खेत पडौसी राजेंद्र पुत्र रामसिंह तीनों खेत चले गये और चारपाई पर अलग अलग सो गये। रात्रि करीब 12.30 बजे जयवीर पुत्र दुलीचंद, बलवान पुत्र हीराराम, शर्मिला पुत्री मेघाराम, दुर्गाराम तथा अन्य 6-7 व्यक्ति उसे व राजेंद्र को जान से मारने की नियत से अपने हाथों में लाठी, डंडे, लोहे के सरिये लेकर उनके खेत में घुसे और उनके सोये हुए के दडादड चोटें मारने लगे। बलवान आदि ने उसके

लडके कपिल को नीचे पटक लिया एवं उसके व राजेंद्र के लाठियों से मारपीट करते रहे तथा बेहोश होने पर वे उन्हें मरा हुआ समझकर छोडकर चले गये। सुबह उसे होश आया तो वह श्रीनाथ अस्पताल राजगढ में भर्ती था। उसके पास उनका खेत पडौसी सुनील व उसका भाई भादर आदि थे। उसने अस्पताल में लाने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि बलवान आदि ने उसके व राजेंद्र के साथ मारपीट करना बताया। उनके साथ बलवान आदि ने जाने से मारने की नियत से मारपीट की....आदि आदि पर पुलिस थाना हमीरवास में प्राथमिकी सं. 65/2026 दर्ज की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान एवं प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 109(1), 115(2), 117(2), 126(2), 331(6), 189(2)/61(2) बी.एन.एस का अपराध प्रमाणित माना गया है।

5- पत्रावली के अवलोकन से पुलिस ने अनुसंधान से यह प्रमाणित पाया है कि मुस्तगीस राजेश कुमार पुत्र खंभाराम का नामजद आरोपी बलवान आदि के साथ खेत के रास्ते का विवाद है, जिसका मुकदमा उपखंड मजिस्ट्रेट राजगढ में लंबित है। राजेंद्र कुमार पुत्र रामसिंह द्वारा गांव बैजवा की रोही में अभियुक्ता शर्मिला की सगी बहनों से कृषि भूमि खरीद की हुई है, जो शर्मिला व उसका पति दुर्गाराम वापिस प्राप्त करना चाहते हैं। राजेश व राजेंद्र दोनों खेत में सोने व काश्त की हुई चना की फसल की रखवाली करते थे, जिसकी सूचना अभियुक्त भागीरथ द्वारा आरोपी दुर्गाराम को दी गयी थी। उक्त सूचना पर दिनांक 10-11.03.26 की मध्य रात्रि को दुर्गाराम अपने साथीगण के साथ राजेश कुमार के खेत में प्रवेश कर राजेश व राजेंद्र के सोये हुए के लाठी, डंडो व सरियों से मारपीट कर उनके चोटें कारित की तथा उनकी मोटरसाइकिल व स्कूटी को क्षतिग्रस्त कर मौके से भाग गये। अभियुक्त भागीरथ व दुर्गाराम के मध्य हुई बातचीत की कॉल डिटेल से प्रकट आ रही है तथा घटना से पूर्व आरोपी दुर्गाराम द्वारा अभियुक्त भागीरथ से मुस्तगीस राजेश कुमार के खेत का रास्ता पूछा गया है। तदुपरांत प्रकरण में वांछित मुलजिमान की तलाश करने पर अभियुक्त सुनील उर्फ लोडिया से अनुंसधान किया गया। दौराने अनुसंधान अभियुक्त दुर्गाराम द्वारा उक्त घटना में प्रयुक्त वाहन अर्टिगा नं. आरजे 18 टीए 5697 को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है तथा दुर्गाराम व सुनील उर्फ लोडिया की इतिला पर घटना में प्रयुक्त लोहे का पाईप व एक डंडा बरामद किया जाकर नक्शामौका व हालातमौका कायम किया गया है। इस प्रकार चूंकि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर आशयपूर्वक/रंजिशपूर्वक आहतगण राजेश व राजेंद्र कुमार को जान से मारने की कोशिश करने का गंभीरतन प्रकृति का आरोप होना तथा उक्त अपराध में उनकी संलिप्तता भी प्रथम दृष्टया स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है। प्रार्थी/अभियुक्त **सुमित उर्फ लोडिया** के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकार्ड

निम्न है-

Sr. No.	Fir No.	Police Station	Section	Date & Status	Date of Arrest
-NIL-					

6- प्रार्थी/अभियुक्त **दुर्गाराम** के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकार्ड निम्न है-

Sr. No.	Fir No.	Police Station	Section	Date & Status	Date of Arrest
1	285/18	सदर	341, 323, 427, 143 भा0 दं0 सं0	न्यायालय में विचाराधीन	उल्लेखित नहीं
2	188/24	हमीरवास	329(3), 324(4), 324(5) भा0 दं0 सं0	न्यायालय में विचाराधीन	उल्लेखित नहीं
3	26/22	हमीरवास	447, 427, 143 भा0 दं0 सं0	न्यायालय में विचाराधीन	उल्लेखित नहीं
4	207/22	हमीरवास	447, 427, 34 भा0 दं0 सं0	न्यायालय में विचाराधीन	उल्लेखित नहीं
5	54/2004	हमीरवास	42/77 वन अधिनियम	दोषसिद्ध	उल्लेखित नहीं
6	192/12	चिडावा	332, 353, 427, 382 भा0 दं0 सं0	न्यायालय में विचाराधीन	उल्लेखित नहीं
7	245/03	हमीरवास	341, 323, 447, 427 भा0 दं0 सं0	दोषमुक्त	उल्लेखित नहीं
8	180/02	हमीरवास	447, 341, 323, 34 भा0 दं0 सं0	दोषसिद्ध दिनांक 30.06.03	उल्लेखित नहीं
9	194/08	राजगढ	394, 323, 34 भा0 दं0 सं0	न्यायालय में विचाराधीन	उल्लेखित नहीं

7- जहां तक अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह तर्क कि अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, कतई चलने योग्य नहीं है क्योंकि न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्तगण के विरूद्ध अनुसंधान अधिकारी ने प्रथम दृष्टया धारा 109(1), 115(2), 117(2), 126(2), 331(6), 189(2)/61(2) बी.एन.एस का अपराध प्रमाणित माना है और आहतगण राजेश व राजेंद्र कुमार के चोट प्रतिवेदन के अनुसार उनके एक एक चोट कारित की गयी है, जो गंभीर प्रकृति की चोटें होना चिकित्सा अधिकारी ने अंकित किया है और इन चोटों के संबंध में चिकित्सक से कारित चोटों की प्रकृति के संबंध में राय लेने पर चिकित्साधिकारी ने आहतगण के कारित चोटें गभीर प्रकृति की होना तथा आहत राजेंद्र कुमार के कारित चोट प्राणाघतक होना स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। अनुसंधान के दौरान सहअभियुक्तगण की

गिरफतारी होने पर घटना में प्रयुक्त वाहन व अलाय आदि की बरामदगी किया जाना बताया गया है। उक्त अपराध में अभियुक्तगण की प्रथम दृष्टया संलिप्तता स्पष्ट रूप से पायी गयी है, जिससे उनका यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है। प्रकरण के सहअभियुक्त भागीरथ व शर्मिला के जमानत आवेदन पूर्व में इस न्यायालय द्वारा खारिज किये जा चुके हैं।

8- ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता, कारित अपराध की गंभीरता एवं आहतगण के कारित चोटों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

आदेश

9- अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सुमित कुमार उर्फ लोडिया पुत्र हरिसिंह उम्र 27 साल निवासी अरडावता पीएस चिडावा जिला झुंझुनूं तथा दुर्गाराम पुत्र पालदेवाराम उम्र 57 साल निवासी खारीया गोदरान पीएस हमीरवास तहसील राजगढ जिला चूरू हाल किरायेदार मकान हरिसिंह कमला नगर चिडावा जिला झुंझुनूं का यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(मुनेश चंद यादव)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1
राजगढ जिला चूरू

10- आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश चंद यादव)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1
राजगढ जिला चूरू